न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 25/19 तारीख रज्जू–24/07/19

1. आशाराम पुत्र मांगला जाति मीना निवासी ग्राम बडागांव कहार तहसील मलारना डूगंर।
2. चिरंजी पुत्र मांगला जाति मीना निवासी ग्राम बडागांव कहार तहसील मलारना डूगंर।
3. तेजराम पुत्र मांगला जाति मीना निवासी ग्राम बडागांव कहार तहसील मलारना डूगंर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाल्या जाति मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारना डूगरं।
2. तहसीलदार महोदय तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

<u>निर्णय</u> दिनांक– 11.10.19.

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम बड़ा गॉव कहार के नामान्तकरण संख्या 933 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम बडा गांव कहार में स्थित आराजी खं0नं0 1766/4 रकबा 1 बीधा 15 बिस्वा व खं0नं0 1768/3 रकबा 1 बीधा 2 बिस्बा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीधा 17 बिस्बा भूमि का नामान्तकरण गैर खातेदारी से खातेदारी तस्दीक हुआ है,साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 933 निर्णय दिनांक 27.08.2001 वाके ग्राम बडा गावं कहार अपास्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक कराया है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा 183 का दावा न्यायालय उप जिला कलेक्टर के यहां बदेखली हेतु लगाया था। जिसमें न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा उक्त दावा में बेदखली के आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है तथा अदालत मातहत द्वारा बिना मौके की जांच कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। जो निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 933 निर्णय दिनांक 27.08.2001 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आराजीयात के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया हुआ है जिसकी अपील वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन

है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है, साथ ही उक्त वाद आराजीयात से अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोई बास्ता नहीं है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की गैरखातेदारी भूमि थी। जिसका उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट पर गैरखातेदारी से खातेदारी तस्दीक किया है। जो नियमानुसार है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उक्त नामान्तकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 933 निर्णय दिनांक 27.08.2001 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त नामान्तकरण अदालत मातहत द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी का तस्दीक किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा कब्जे के आधार पर उक्त नामान्तकरण निरस्त करवाना चाहता है। खातेदारी अधिकार उन्हीं ही परिस्थितियों में दिये जाते है। जब गैरखातेदार का कब्जा निरन्तर चला आ रहा हो अपीलान्ट द्वारा आलोच्य नामान्तकरण को इस आधार पर चुनौती दी है कि आराजीयात मुक्तनाजा पर अपीलान्ट का कब्जा है। नामान्तकरण अपील के द्वारा किसी भी व्यक्ति के हक हकूक तय नहीं किये जा सकते है। यह मात्र एक समरी प्रोसेडिगं है। इन परिस्थितियों में अपीलान्ट द्वारा कब्जे के आधार पर उक्त नामान्तकरण को चुनौती दिया जाना विधि अनुसार नहीं है। अधिकारों का तय सक्षम न्यायालय द्वारा नम्बरी वाद में ही तय किये जा सकते है। उक्त परिस्थियिों में हमारे दिनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 933 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2001 वाके ग्राम बड़ा गॉव कहार यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर